लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 1977.

क्र. 768-5548-तीन-1-77.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्त भरती) नियम, 1976 कहलायेंगे.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य अनुसूची एक के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी से है;

(ख) "समिति" से तात्पर्य अनुसूची दो तथा चार में तथा निर्दिष्ट विभागीय चयन/ पदोन्नति समिति से है;

(ग) "मुख्य अभियंता" अधीक्षण यंत्री, "कार्यपालन यंत्री", एवं "सहायक यंत्री" से तात्पर्य उन अधिकारियों से है जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में तत्संबंधी पदों के हैं;

(घ) "परीक्षा" से तात्पर्य नियम 11 के अधीन सेवा में भरती किये जाने के लिये ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा से है;

(ङ) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;

(च) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न सूची से है;

(ज) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में उनके लिये क्रमशः दिया गया है और ऐसी जातियों तथा जनजातियों से है जो इस रूप में शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय;

(झ) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा से है;

(ञ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवाओं का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची एक में उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति;

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये व्यक्ति; और

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसके वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उसके लिये नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय समय पर [illegible] पदों पर [illegible] कर सकेगा.

6. भरती का तरीका:—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगितात्मक परीक्षा [illegible] द्वारा सीधी भरती द्वारा,

(ख) अनुसूची चार में दर्शाए गए, अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा, जो इस सेवा के पूर्व पद जो इस संबंध में उल्लेखित किये जावें, मौलिक हैसियत से धारण किये गये हों.

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची दो में उल्लिखित कर्तव्य पदों की संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन भरती का किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा को किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी मुख्य अभियंता की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर उक्त मुख्य अभियंता शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों को छोड़कर जिनका उक्त नियमों में उल्लेख किया गया है ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों द्वारा निर्धारित किये जावें.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लेखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा

8. [illegible] पूरा करना चाहिये. यथा:—

(1) [illegible] (क) [illegible] (3) में [illegible] हों.

(दो) [illegible] अनुसूचित [illegible] सीमा में [illegible]

(तीन) [illegible] अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित [illegible] तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन [illegible] जायगा:—

(एक) [illegible] उम्मीदवार जो [illegible] स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो, आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. उक्त रियायत वर्कचार्ज, कर्मचारी आकस्मिक खर्च से वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति (प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कमेटी) में कार्य कर रहे व्यक्तियों को भी मिलेगी.

(दो) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई, सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(च) जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो, तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपनी पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता [illegible] के कारण [illegible] सेवा से [illegible] किया गया हो.

(एक) [illegible]

(दो) [illegible] (क) [illegible]

(तीन) [illegible]

(चार) [illegible] (सीमा सड़क [illegible]) [illegible] विभाग कार्यालय प्रवर्ग [illegible]

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मु[illegible] अधिकारी.

(छः) अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक.

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा [illegible] किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकते.

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने तथा [illegible] हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया.

(ङ) 1 जनवरी, 1963 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय सेना में भरती किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी आरंभिक/विस्तारित पदावधि की समाप्ति पर कार्य मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में उसके द्वारा की गई सेवा की कालावधि को घटाने के लिये, आशय का प्रमाण-पत्र पेश करने पर अनुज्ञात किया जायगा कि वह राष्ट्रीय छात्र सेना से अपनी आरंभिक/विस्तारित पदावधि की समाप्ति पर कार्यमुक्त किया [illegible]

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह यथास्थिति (क) या (ख) की विहित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

(च) (1) खंड (1) के उपखंड (ग) की मद (एक) में उल्लेखित आयु सीमा संबंधी रियायतों के अंतर्गत [illegible] उम्मीदवारों को जबकि योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् उनको सेवा अथवा पद में छटनी की जाय तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(दो) किसी भी अन्य मामले में से आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायगी.

(तीन) विभागीय उम्मीदवारों को चाहिये कि वे [illegible] पूर्व ही नियुक्ति प्राधिकारी की [illegible]

(2) शैक्षणिक अर्हताएं:—उम्मीदवार के पास सेवा के लिये वे निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(3) फीस:—उम्मीदवार को चयन प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता:—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी माध्यम से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जायगा.

10. नियुक्ति प्राधिकारी तथा समिति के विनिश्चय को अंतिमता:—चयन के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. चयन परीक्षा के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्य बातों के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी उम्मीदवार को जिसको प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया हो परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी.

11. चयन:—प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भरती:—(1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायगा जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन समिति द्वारा उनके समक्ष भेंट करने के पश्चात् किया जायगा.

(3) (क) निम्न श्रेणी लिपिक और 25 प्रतिशत सहायकों एवं शीघ्रलेखकों की भरती प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा ऐसे अन्तरालों से की जायगी जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय.

(ख) परीक्षायें शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न की जावेगी.

(4) (क) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रखे जावेंगे.

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिये सीधी भरती हेतु तृतीय श्रेणी सेवा के अंतर्गत 9 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जावेंगे बशर्ते कि कुल सुरक्षित स्थान किसी भी समय 50 प्रतिशत रिक्त स्थान से अधिक न हों.

(ग) इस प्रकार रक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) प्रशासन दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, उप नियम (4) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे.

(6) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उनके रक्षित समस्त रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जावेंगे और आगे होने वाले चयन/प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उतने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान रक्षित रखे जावेंगे, परन्तु उपर्युक्त प्रकार के "कैरी फारवर्ड" किये गये स्थानों को भी सम्मिलित करते हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या किसी भी समय 45 प्रतिशत रिक्त स्थान से अधिक नहीं होगी. प्रतियोगितात्मक परीक्षा को छोड़ अन्य माध्यम से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित स्थानों को, जो प्रथम अवसर में पूरे नहीं भरे जा सके हों, उपर्युक्त प्रकार से 'कैरी फारवर्ड' करने के पूर्व एक बार उन्हीं जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पुनः विज्ञापित किया जावेगा.

12. चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची:—(1) प्रतियोगितात्मक परीक्षा को छोड़ अन्य तरीके से चयन किये गये उम्मीदवारों की सूची चयन समिति द्वारा योग्यता क्रम से बनाई जायगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो, यद्यपि उक्त मान के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगी.

(2) चयन समिति अपनी प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा निश्चित किये गये मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि उनके मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति करने हेतु भेजेगी. यह सूची सर्व साधारण की सूचना के लिये भी प्रकाशित की जावेगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (जनरल कन्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स 1961 के अंतर्गत उम्मीदवारों की नियुक्ति उपलब्ध पदों पर उक्त सूची में दर्शाये गये नामों के अनुसार, नियुक्ति की जायगी.

(4) उम्मीदवार का नाम सूची में आने से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उम्मीदवार के बारे में जांच करने के पश्चात् यह समाधान न हो जाय कि वह सेवा में सभी प्रकार से नियुक्ति के लिये योग्य है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:—(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिये समिति गठित की जायगी जिसमें अनुसूची चार में उल्लेखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

(3) पदोन्नति के लिये उपलब्ध उन पदों के रिक्त स्थानों में से जिनमें पदोन्नति के लिए विहित 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, 16 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों के लिये रक्षित रखे जावेंगे जो नियम 14 के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्रता रखते हैं.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उप नियम (3) के अधीन सुरक्षित रखे गए स्थानों में पदोन्नति शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर उस प्रयोजन के लिये जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार की जायगी.

139

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन से उनके समतुल्य घोषित किया है, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उक्त अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित सेवा पूर्ण कर ली है तथा विचारार्थ क्षेत्र में आते हों.

(2) चयन के लिये विचारार्थ क्षेत्र, चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से सामान्यतया पांच गुना अधिक व्यक्तियों तक सीमित रहेगा किन्तु यदि किसी पद में पदोन्नति के लिये "योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण" (Merit cum Seniority) का मापदंड निर्धारित हो तो विचारार्थ क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से सात गुना अधिक व्यक्तियों तक सीमित रहेगा:

परन्तु इस प्रकार अवधारित किये गये क्षेत्र के भीतर आवश्यक संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो उसे, समिति, जहां तक आवश्यक समझे तथा लिखित में कारण दर्शाते हुए, बढ़ा सकेगी.

15. उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे. सूची में उतने नाम सम्मिलित किए जाएंगे जितने सूची बनाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान संभावित हों. इनके अतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिये सुरक्षितार्थ ... तैयार की जाएगी जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत नाम रहेंगे.

(2) उप नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन ज्येष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कालम दो में निर्दिष्ट सेवा में प्रत्येक सूची बनाने के समय यथा स्वीकृति वरिष्ठता क्रम के अनुसार रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है किन्तु उस सूची के प्रभावशाल रहने तक की अवधि में उसकी पदोन्नति नहीं हुई हो, तो बाद की बनाई गई सूची में केवल अपने पूर्व में चयन होने के आधार पर उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकेगा जिन्हें बाद के चयन में विचार में लिया गया है.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के ... सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाय, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी.

16. चयन सूची:—(1) समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची चार के कालम 3 में दर्शाये गये अनुसार मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (अराजपत्रित) सेवा के ... पदोन्नति हेतु प्रवर चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाय किन्तु इस सूची के वैधता इसके बनाने की तारीख से 18 महीने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा आचरण में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची में से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायगी जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों:

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, वहां किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जिसका नाम चयन सूची में दिए गए क्रम में अगले स्थान पर न हो सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा कि मुख्य अभियंता को इस बात से समाधान हो जाय कि उक्त रिक्त ... तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो सेवा में नियुक्त करने के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. परिवीक्षा:—सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

19. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. छूट:—इन नियमों में दी गई किसी भी बात ... नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में ... लागू होते हैं राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति सीमित या कम करता है, जो उन्हें उचित और न्याय संगत हो:

परन्तु किसी मामले में किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाय जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल ...

21. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों की व्याप्ति में आने वाले विषयों के संबंध में इन नियमों के तत्स्थानी ... नियम इन के प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ब्रह्म स्वरूप, ...

140

13

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतन (5)	नियुक्त प्राधिकारी (6)
	तृतीय श्रेणी (अननुसचिवीय)—				
1	उप यंत्री (प्रवर श्रेणी)	15 (सिविल)	अराजपत्रित स्टेट वाईड कॅडर.	रु. 375—12½—400—20—500—25—575.	मुख्य अभियन्ता
2	उप यंत्री/आफिसर/स्टोर कीपर/कम्प्युटर/सेक्शन आफीसर/इलेक्ट्रिकल असिस्टेन्ट.	1299 (1173 सि.) (126 इले.)	तदैव	रु. 280—10—350—12½—400—रोध-20—480.	तदैव
3	ड्रिलर इंजीनियर	9 (इलेक्ट्रिकल)	तदैव	तदैव	तदैव
4	फोरमेन	5 ,,	तदैव	तदैव	तदैव
5	रिग आपरेटर	15 (इलेक्ट्रिकल)	तदैव	तदैव	तदैव
6	असिस्टेन्ट रिग आपरेटर	15 (इलेक्ट्रिकल)	तदैव	रु. 205—5—240—6—270—रोध—10—350—12½—375.	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री
7	संवर्ग में सहायक/स-आफिसर	4 (सिविल)	तदैव	तदैव	तदैव
8	सर्वेयर	17 (सिविल)	तदैव Revised	तदैव	तदैव
9	ड्रिलर	24 (इलेक्ट्रिकल)	तदैव (1150/-)	रु. 195—5—240—6—252—रोध—6—270—10—330.	तदैव
10	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियन्ता का कार्यालय)	1 (सिविल)	अराजपत्रित स्टेट वाइड कॅडर	रु. 280—10—350—12½—400—रोध 20—480—विशेष वेतन रु 50.	मुख्य अभियन्ता
11	मुख्य मानचित्रकार (अधीक्षण यंत्री का कार्यालय)	10 (सिविल)	तदैव	तदैव	तदैव
12	मानचित्रकार	87 (84 सिविल) (3 इलेक्ट्रिकल)	तदैव	रु. 280—10—350—12½—400—रोध—20—480 + विशेष वेतन रु. 25.	तदैव
13	सहायक मानचित्रकार	120 (115 सिविल) (5 इलेक्ट्रिकल)	तदैव (1200/-)	रु. 205—5—240—6—270—रोध—10—350—12½—375.	मुख्य अभियन्ता अधीक्षण यंत्री—उनके अधीनस्थ पदों के लिये.
14	अनुरेखक	178 (सिविल)	तदैव (950/-)	(अ) हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा स्केचिंग का अनुभव रु. 15[illegible]—[illegible]—240—रोध—6—270—10—[illegible]	मुख्य अभियन्ता अधीक्षण यंत्री.
				(ब) अन्य के लिये रु. 135—2½—150—4—180—रोध—5—240—6—252	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)—					
1 अधीक्षक (मुख्यालय) ..	3		स्टेट वाइड केडर	रु. 375-12½-400-20-500-25-575.	मुख्य अभियन्ता
2 अधीक्षक (मंडल कार्यालय) ..	10		तदैव	रु. 280-10-350-12½-400-रोध-20-480.	तदैव
3 जूनियर अकाउन्ट्स आफिसर	2 संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर लिये जायेंगे.		तदैव	रु. 350-12½-400-20-500-रोध-25-600.	तदैव
4 स्टेटीस्टीकल असिस्टेन्ट ..	2		तदैव	रु. 280-10-350-12½-400-रोध-20-480.	तदैव
5 सहायक (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक) मुख्यालय.	7		तदैव	रु. 246-6-270-10-350-रोध-12½-400-20-460	तदैव
6 सहायक (मुख्य सहायक) मंडल कार्यालय.	16		तदैव	रु. तदैव	तदैव
7 शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)-विभाग प्रमुख के.	2		तदैव	रु. 280-10-350-12½-400-रोध-20-480-	तदैव
8 शीघ्रलेखक अन्य ..	19		तदैव	तदैव	तदैव
9 शीघ्रमुद्रक (स्टेनो टायपिस्ट) ...	1		तदैव	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300+वि. वेतन रु. 40.	तदैव
10 लेखापाल ..	6		तदैव	रु. 205-5-240-6-270-रोध-10-350-12½-375.	तदैव
11 आडिटर उच्च श्रेणी लिपिक ..	2/21		तदैव	रु. 195-5-240-6-252-रोध-6-270-10-330.	तदैव
12 निम्न श्रेणी लिपिक/मुद्रक ..	42		तदैव	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300.	तदैव
तृतीय श्रेणी मिनिस्टेरियल (लिपिक वर्गीय)—					
1 शीघ्र मुद्रक (स्टेनो टायपिस्ट) ..	2		नान स्टेट वाइड केडर	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300+वि. वे. 40.	प्रशासन यंत्री/कार्यपालन यंत्री.
2 प्रथम श्रेणी लिपिक ..	153		तदैव	रु. 195-5-240-6-252-रोध-6-270-10-330.	प्रशासन यंत्री
3 उच्च श्रेणी लिपिक ..	238		तदैव	तदैव	तदैव
4 निम्न श्रेणी लिपिक ..	646		तदैव	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300.	प्रशासन यंत्री/कार्यपालन यंत्री
5 संभागीय लेखापाल ..	48		तदैव	महालेखापाल द्वारा नियुक्त	
तृतीय श्रेणी अन्य—					
1 केमिस्ट ..	6		तदैव	रु. 246-6-270-10-350-रोध-12½-400-20-460.	मुख्य अभियन्ता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	सहायक कैमिस्ट/(मृतिका)	5	नान स्टेट माइक फोर्स	रु. 169–4–185–5–240–रोध–6–270–10–300.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री.
3	लेबोरेटरी असिस्टेंट	8	तदैव	तदैव	तदैव
4	स्टोर कीपर/(नि. श्रे. लि. ग्रेड)	7	तदैव	तदैव	तदैव
5	मेकेनिक/सुपरवाइजर	25	तदैव	रु. 195–5–240–6–252–रोध–6–270–10–330.	तदैव
6	स्टोर कीपर (उच्च श्रे. लि. ग्रेड) अकाउन्टेन्ट	21	तदैव	तदैव	अधीक्षण यंत्री
7	नल इंस्पेक्टर	5	तदैव	तदैव	तदैव
	मीटर इंस्पेक्टर	2	तदैव	तदैव	तदैव
	सेनीटरी इन्स्पेक्टर	8	तदैव	तदैव	तदैव
	बिजली असिस्टेंट	2		रु. 220–5–240–6–270–10–300–रोध–10–350–12½–375.	मुख्य अभियन्ता
11	इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन	7	तदैव	रु. 155–2½–160–4–180–रोध–5–240–6–252.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
12	फिटर	20	तदैव	तदैव	तदैव
13	फिटर इंसपेक्टर एवं कैमिस्ट	1	तदैव	तदैव	तदैव
14	मिस्त्री	2	तदैव	तदैव	तदैव
15	शिफ्ट ड्रायवर	80	तदैव	तदैव	तदैव
16	पम्प ड्रायवर	40	तदैव	तदैव	तदैव
17	प्लम्बर्स	17	तदैव	तदैव	तदैव
18	मोटर रोलर	40	तदैव	रु. 155–2½–160–4–180–5–230.	तदैव
19	मोटर मिस्त्री	4	तदैव	तदैव	तदैव
20	मोटर फिटर	3	तदैव	तदैव	तदैव
21	फिल्टर फिटर	4	तदैव	तदैव	तदैव
22	फिल्टर आपरेटर	7	तदैव	तदैव	तदैव
23	पाईप फिटर	11	तदैव	तदैव	तदैव
24	शिफ्ट फिटर	10	तदैव	तदैव	तदैव
25	मोटर ड्रायवर/व्हीकल ड्रायवर.	17	तदैव	रु. 155–2½–160–4–180–रोध–5–240–6–252.	तदैव
26	ट्रक ड्रायवर	15	तदैव	तदैव	तदैव
27	जीप ड्रायवर	15	तदैव	तदैव	तदैव
28	लारी ड्रायवर	2	तदैव	तदैव	तदैव
29	व्ही[illegible] ड्रायवर				
30	मोटर बोट ड्रायवर		तदैव	तदैव	तदैव
31	फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं कैमिस्ट	1	तदैव	रु. 246–6–270–10–350–रोध–12½–400–20–460.	मुख्य अभियन्ता
32	बिल कलेक्टर/कैशियर	11	तदैव	रु. 169–4–185–5–240–रोध–6–270–10–300.	अधीक्षण यंत्री
33	एयर काम्प्रेसर आपरेटर	92	तदैव	रु. 195–5–240–6–252–रोध–6–270–10–330.	कार्यपालन यंत्री
34	एयर काम्प्रेसर ड्रायवर	92	तदैव	तदैव	तदैव
35	ड्रिलर एवं ब्लास्टर	6	तदैव	तदैव	तदैव
36	एक्सप्लोजिव वैन ड्रायवर	6	तदैव	तदैव	तदैव
37	फिटर अटेन्डेन्ट	47	तदैव	रु. 155–2½–160–4–180–रोध–5–230	तदैव
38	पम्प अटेन्डेन्ट	50	तदैव	तदैव	तदैव
39	वेल्डर	5	तदैव	रु. 155–2½–160–4–180–रोध–5–240–6–252.	तदैव
40	टर्नर	11	तदैव	तदैव	तदैव

अनुसूची दो

[नियम 6 (2) देखिये]

विभाग का नाम	सेवा का नाम 1. वर्ग 2. पदों का विवरण	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत: सीधी भरती द्वारा नियम 6 (1) (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख)	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तर द्वारा नियम (6)(1)(ग)	विभागीय चयन समिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			तृतीय श्रेणी (अननुसचिवीय)				
लोक स्वास्थ्य	उप यंत्री (सिलेक्शन ग्रेड	15	..	शतप्रतिशत	..	..	
इंजीनियरिंग विभाग	उपयंत्री-आर्टिफिसर स्टोर कीपर/कोम्प्यूटर	1173+126 (सिविल) (मैके.)	75%	75%	..	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाइन)-अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना)-सदस्य. 3. कार्यपालन यंत्री (डिजाइन)-सदस्य.	25% [illegible] पद सिविल/मैकेनिकल के पद संवर्ग में सहायक सर्वेयर के तथा [illegible] आर्टिफिसर के पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे.
	सेक्शन आफीसर/ इलेक्ट्रीकल असिस्टेन्ट						
	ड्रिलर इंजीनियर	9	75%	..	25%	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.)-अध्यक्ष 2. सहायक यंत्री (मैके.)-सदस्य	ड्रिलर इंजीनियर *फोरमेन के 25% पद मैके. उपयंत्रियों अस्थायी स्थानांतर द्वारा भरे जायेंगे.
	फोरमेन	5	75%	..	25%	तदैव	* (एवं रिग आपरेटर)
	रिग आपरेटर	15	..	100%	..	तदैव	
	असिस्टेन्ट रिग आपरेटर	15	25%	25%	..	तदैव	75% असिस्टेंट रिग आपरेटर के पद ड्रीलर रिग ड्रायवर एवं हेल्पर के पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे.
	कर्म सहायक सब-आर्टिफिसर	4	100%	..	..	1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष, (मंडल स्तर पर) 2. दो सहायक यंत्री सदस्य	[illegible] एवं [illegible] भरती द्वारा [illegible] प्रतिशत यो[illegible] उ[illegible]वारों की उप[illegible] अनुसार बदल[illegible] सकता है.
	सर्वेयर	17	100%	..	..	तदैव	
	ड्रिलर	24	25%	75%	..	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.)-अध्यक्ष 2. दो सहायक यंत्री (मैके.)-सदस्य	75% ड्रिलर के पद [illegible] में से पदोन्नति द्वारा भरे [illegible]
	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियंता का कार्यालय)	1	.. 75%	25%			25% पद उपयंत्रियों में से अस्थायी रूप से स्थानांतर द्वारा भरे जायेंगे.
	मुख्य मानचित्रकार (अधीक्षण यंत्री का कार्यालय).	10	.. 75%	25%			तदैव.
	मानचित्रकार	84+3	.. 75%	25%			तदैव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सहायक मानचित्रकार		115+5	85%	15%	..	1. अधीक्षण यंत्री-अध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के पदों के लिये अधीक्षण यंत्री (रूपांकन).
अनुरेखक		178	शतप्रतिशत	...	..	2. कार्यपालन यंत्री-2-सदस्य	उक्त समिति के अध्यक्ष रहेंगे. मण्डल स्तर के पदों के लिये संबंधित अधीक्षण यंत्री अध्यक्ष रहेंगे.
तृतीय श्रेणी मिनिस्टेरियल (स्टेट वाईड केडर)							
अधीक्षक (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय)		3+10	..	शतप्रतिशत	..	1. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री (योजना) सदस्य. 3. लेखाधिकारी सदस्य.	मण्डल कार्यालय के अधीक्षकों के पद मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय के सहायक के पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
जूनियर अकाउन्ट्स आफिसर		2	..	..	शतप्रतिशत		मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के [illegible] के पद अधीक्षण यंत्री के कार्यालयीन अधीक्षकों के पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे. जूनियर अकाउन्ट्स आफिसर के पद संचालनालय कोष एवं लेखा के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जावेंगे.
स्टेटेस्टिकल असिस्टेन्ट		2	..	..	एजन		स्टेटेस्टिकल असिस्टेन्ट के पद आर्थिक तथा सांख्यिकी संचालनालय के प्रशिक्षित उम्मीदवार को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जावेंगे.
5 सहायक (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय).		7+16	25%	75%	..		मुख्य अभियन्ता कार्यालय के सहायक के पद मुख्य अभि. कार्यालय के लेखापाल को पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे एवं मण्डल कार्यालय के सहायक पद प्रथम श्रेणी लिपिकों के पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे पदोन्नति हेतु उन प्र. श्रे. लि. के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने मंत्रालयीन कार्य विधि परीक्षा उत्तीर्ण की हो.
लेखापाल		6	..	शतप्रतिशत	..		लेखापाल के पद मुख्य अभियन्ता कार्यालय [illegible] प्र. श्रे. लि. के पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ऑडिटर/उच्च श्रे.लि.		2/21	..	शतप्रतिशत	..		ऑडिटर एवं उच्च श्रे.लि. के पद महा अभिलेखा कार्यालय के निम्न श्रेणी लिपिक को पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
शीघ्र लेखक (विभाग प्रमुख के)		2		..	..		
शीघ्रलेखक (अन्य)		19	शतप्रतिशत	..	..		
स्टेनो टायपिस्ट		1	शतप्रतिशत	..	..		
निम्न श्रेणी लिपिक/मुद्रक मुद्रलेख		42	90%	10%	..		निम्न श्रेणी लिपिक के 10% स्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की है को (सामान्य प्रशासन विभाग के आ. क्र. 127/782/1/(3) 72, दिनांक 6-3-72 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
तृतीय श्रेणी मिनिस्ट्रियल, नान स्टेट वाईड केडर							
प्रथम श्रेणी लिपिक		153	..	100%	..	1. कार्यपालन यंत्री—अध्यक्ष 2. सहायक यंत्री-2—सदस्य	50% पद उच्च श्रेणी लिपिकों के स्थानान्तर द्वारा (वरिष्ठतानुसार) भरे जावेंगे.
उच्च श्रेणी लिपिक		238	..	..	100%	तदैव	
संभागीय लेखापाल		48	..	..	शतप्रतिशत	..	अस्थायी रूप में महालेखाकार द्वारा नियुक्त किये जावेंगे.
						1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष 2. सहायक यंत्री-2-सदस्य	..
स्टेनो टायपिस्ट		2	..	..	..	तदैव	..
निम्न श्रेणी लिपिक		646	90%	10%	..	तदैव	10% स्थान हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण भृत्यों एवं दफ्तरियों को पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
तृतीय श्रेणी अन्य-नान-स्टेट वाईड केडर							
केमिस्ट (लेबोरेटरी)		6	शतप्रतिशत	..	..	1. अधीक्षणयंत्री-अध्यक्ष (संचालित पदों के लिए) 2. कार्यपालन यंत्री-सदस्य ([illegible] के) 3. चीफ केमिस्ट	
सहायक केमिस्ट (गुणांसेक)		5	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	
लेबोरेटरी असिस्टेन्ट		8	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्टोर कीपर (नि.श्रे.लि.) ग्रेड		7	शतप्रतिशत		..	1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष (संबंधित मण्डल मुख्यालय के). 2. दो सहायक यंत्री-सदस्य (संबंधित मण्डल मुख्यालय के).	
मैकेनिक/सुपरवाईजर		25	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	
स्टोर कीपर/अकाउन्टेन्ट (उ.श्रे.लि.ग्रेड).		21/1	..	100%	..		50% पद निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड के स्टोरकीपर को पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
सब-इन्सपेक्टर		5	..	..	शतप्रतिशत		यह पद मैकेनिक/सुपरवाईजर के स्थानांतर द्वारा भरे जावेंगे.
मीटर इन्सपेक्टर		2	..	100%			यह पद मीटर रीडर की पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे.
सेनेटरी इन्सपेक्टर		8	शतप्रतिशत	..	..	1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष (संबंधित मण्डल मुख्यालय के). 2. दो सहायक यंत्री-सदस्य (संबंधित मण्डल मुख्यालय के).	
फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट एवम् केमिस्ट.		1	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	
बिजिनेस असिस्टेन्ट		2	शतप्रतिशत	..	..	1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष	(संबंधित मण्डल मुख्यालय के)
इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन		7	शतप्रतिशत			2. दो सहायक यंत्री सदस्य	तदैव)
फिटर		20	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिल्टर इंसपेक्टर एवं केमिस्ट		1	शतप्रतिशत		..	तदैव	तदैव
मिस्त्री		2	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
लिफ्ट ड्रायवर		80	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
पम्प ड्रायवर		40	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
प्लम्बर्स		17	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
				..	..	तदैव	तदैव
मीटर रीडर		40	शतप्रतिशत				
मोटर मिस्त्री		4	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
मोटर फिटर		3	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिल्टर फिटर		4	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिल्टर अ.टेटर		7	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिटर		11	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिटर		10	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
मोटर ड्रायवर/ व्हीकल ड्रायवर		17	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
				..	..	तदैव	तदैव
ट्रक ड्रायवर		15	शतप्रतिशत	..	..	1. कार्यपालन यंत्री-अध्यक्ष (संबंधित मण्डल मुख्यालय के)	
जीप ड्रायवर		15	शतप्रतिशत			2. सहायक यंत्री 2—सदस्य	तदैव
लारी ड्रायवर		2	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
मोटर बोट ड्रायवर		1	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
फिल्टर अटेन्डेन्ट		47	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
पंप अटेन्डेंट		50	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
						तदैव	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. कार्यपालन यंत्री–अध्यक्ष	
वेल्डर	..	5	शतप्रतिशत	..	..	2. सहायक यंत्री 2–सदस्य	(संबंधित मन्डल मुख्यालय के)
टर्नर	..	11	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
बिल क्लर्क/ कैशियर		11	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
एयर कम्प्रेशर आपरेटर	..	92	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
एयर कम्प्रेशर ड्रायवर		92	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
ड्रीलर एवं ब्लास्टर	..	6	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव
एक एनसप्लोजीवन ड्रायवर		6	शतप्रतिशत	..	..	तदैव	तदैव

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भरती नियम

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			तृतीय श्रेणी (तकनीकी एक्जीक्यूटिव)		
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग.	उपयंत्री (सिविल / मेकेनिकल) / फार्टिफिकर / स्टोरकीपर / कम्प्यूटर / सेक्शन आफिसर / इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट.	18	28	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा 6 साल का अनुभव.	अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्यों को एवं भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
	ड्रिलर इंजीनियरिंग / फोरमेन.	18	28	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	
	रिग आपरेटर ..	18	28	(क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आठ वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव या 80,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग किया हो. (ख) मेट्रिक उत्तीर्ण तथा 6 वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव या 60,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग किया हो. (ग) इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का मोटर मेकेनिक याग. सी. इंजी. या डिजल मेकेनिक का ट्रेड सर्टिफिकेट तथा चार वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 40,000 फुट ड्रिलिंग किया हो. (घ) तीन वर्षीय मेकेनिकल / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त तथा एक वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 10,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.	अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जावेगी
	असिस्टेन्ट रिग आपरेटर	18	28	(क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा चार वर्ष का एयर कम्प्रेसर ड्रिल मशीन पर कार्य का अनुभव या 10,000 फुट ड्रिलिंग किया हो एवं गाइड का गेज जानने की क्षमता तथा सीमित वेल्डिंग एवं [illegible] करने की क्षमता हो.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(ख) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 30,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.	
	स्टेनोटाइपिस्ट	18	28	हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन का ज्ञान तथा टाईप राईटिंग बोर्ड मध्यप्रदेश से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण-पत्र प्राप्त.	
	निम्न श्रेणी लिपिक ..	18	28	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.	अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों को एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
तृतीय श्रेणी अन्य—					
	केमिस्ट	18	28	बी. एस. सी. (केमेस्ट्री के विषय के साथ) वाटर मेनेज तथा इन्डस्ट्रीयल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी.	तदैव
	सहायक केमिस्ट ..	18	28	मेट्रिक परीक्षा केमिस्ट्री विषय के साथ उत्तीर्ण	तदैव
	लेबोरेटरी असिस्टेन्ट ..	18	28	तदैव	तदैव
	स्टोर कीपर (नि.श्रे.लि. ग्रेड).	18	28	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं भण्डार कार्य का अनुभव.	
	मेकेनिक / सुपरवाइजर ..	18	28	इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से मेकेनिकल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.	तदैव
	सेनेटरी इन्सपेक्टर ..	18	28	हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं सेनेटरी इन्सपेक्टर कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त.	
	बिजनेस असिस्टेन्ट ..	18	28	बी. ए., बी. एस-सी., बी. काम. एवं भण्डार कार्य का दीर्घ अनुभव.	
	फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	18	28	बी. एस-सी. एग्रीकल्चर.	
	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	18	28	इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त.	
	फिटर ..	18	28	इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त.	
	फिल्टर इन्सपेक्टर एवं केमिस्ट	18	28	तदैव	
	मिस्त्री ..	18	28	तदैव	
	शिफ्ट ड्रायवर ..	18	28	इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक ट्रेड का सर्टिफिकेट.	
	असिस्टेन्ट रिग आपरेटर	18	28	(ग) इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट से मोटर मेकेनिक आई. टी. आई. या डीजल मेकेनिक का ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				हो एवं दो वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 20,000 फुट का ड्रिलिंग किया हो. (घ) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं 6 माह का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 5,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.	
	सब-ओवरसियर/सब-आर्टिफिसर.	18	28	दो वर्षीय डिप्लोमा सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (मान्यता प्राप्त संस्था से).	
	सर्वेयर	18	28	मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या सर्वे ट्रेड कोर्स का इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेड सर्टिफिकेट.	
	ड्रिलर	18	28	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का डीजल मेकेनिक का ट्रेड सर्टिफिकेट या ड्रिलिंग कार्य का दीर्घ अनुभव.	
	सहायक मानचित्रकार	18	28	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार अभिदर्शक उप-अभिदर्शक कार्य या वास्तुकला में डिप्लोमा या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से डिप्लोमा/ट्रेड सर्टिफिकेट.	
	अनुरेखक	18	28	मेट्रिक उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक व माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण.	
	तृतीय श्रेणी मिनिस्ट्रियल—				
	स्टेटिस्टीकल असिस्टेन्ट	18	28	एम.ए., एम.एससी. सांख्यिकी विषय में	इनकी नियुक्ति प्राधिकृत एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा की जावेगी.
	सहायक	18	28	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त.	
	स्टेनोग्राफर	18	28	हायर सेकेंडरी पास, मध्यप्रदेश के शार्ट हैंड तथा टाइपराइटिंग बोर्ड से (हिन्दी में) प्राप्त योग्यता तथा मुख्यालय में प्रमाणपत्र.	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों का एवं भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
	पम्प ड्रायवर	18	28	इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक ट्रेड का सर्टिफिकेट.	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों एवं भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
	प्लम्बर	18	28	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का प्लम्बर ट्रेड का सर्टिफिकेट.	तदैव
	मीटर रीडर	18	28	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मोटर मिस्त्री ..	18	28	इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट.	अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
	मोटर फिटर ..	18	28	तदैव	
	फिल्टर फिटर ..	1.	28	तदैव	तदैव
	फिल्टर आपरेटर ..	18	28	तदैव	तदैव
	पाइप फिटर ..	19	28	तदैव	तदैव
	लिफ्ट फिटर ..	18	28	तदैव	तदैव
	मोटर ड्रायवर / ट्रक ड्रायवर / जीप ड्रायवर / लारी ड्रायवर व्हीकल ड्रायवर.	18	28	ड्रायविंग का लायसेन्स प्राप्त होना चाहिए	तदैव
	मोटर बोट ड्रायवर ..	18	28	मोटर बोट ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त होना चाहिए.	तदैव
	पम्प अटेन्डेन्ट फिल्टर अटेन्डेन्ट. ..	18	28	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक का इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.	तदैव
	वेल्डर / टर्नर ..	18	28	वेल्डर / टर्नर ट्रेड में इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.	तदैव
	वित्त क्लर्क / केशियर ..	18	28	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं एकाउन्ट कार्य का अनुभव.	तदैव
	एयर कम्प्रेशर ड्रायवर ..	18	28	इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट का मशीनिस्ट ट्रेड का सर्टिफिकेट.	तदैव
	एयर कम्प्रेशर ड्रायवर एयर कम्प्रेशर आपरेटर.	18	28	तदैव	तदैव
	ड्रिलर एवं ब्लास्टर ..	18	28	तदैव	तदैव
	एक्सप्लोजीव वेन ड्रायवर	18	28	एक्सप्लोजीव एवं ड्रायविंग का लायसेंस प्राप्त.	तदैव

अनुसूची चार.

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने की न्यूनतम अवधि	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पद पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग			तृतीय श्रेणी तकनीकी (एग्जीक्यूटिव)		
	उपयंत्री ..	12 साल (केवल स्थायी)	उपयंत्री (सेलेक्शन-ग्रेड)	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाईन)—अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री (योजना)—सदस्य 3. एकाउन्ट्स आफिसर—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सर्वेयर/संकर्म सहायक/सब आर्टिफिसर	10 साल (मेट्रिकुलेशन) ..	उप यंत्री/आर्टिफिसर	1. प्रशिक्षण यंत्री (डिजाईन), अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य 3. एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य	
	सहायक रिग आपरेटर	क. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आठ वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव या 80,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग किया हो. ख. मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं 6 वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर 60,000 फुट ड्रिलिंग किया हो. ग. इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट की सर्टीफिकेट प्राप्त एवं चार वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा 40,000 फुट ड्रिलिंग किया हो. घ. मैकेनिकल / आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त एवं एक वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा 10,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग किया हो.	रिग आपरेटर ..	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.) अध्यक्ष. 2. दो सहायक यंत्री (मैके.) सदस्य	संबंधित मण्डलों के अन्तर्गत पद भरने हेतु इसके अधीनस्थ कार्यपालन यंत्री मैके. वि. प. स. के अध्यक्ष होंगे.
	ड्रिलर ..	ड्रिलर के पद पर पांच वर्षों का अनुभव एवं हिन्दी अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान तथा माइक्रोमीटर एवं वर्नियर केलिपर पढ़ने की क्षमता तथा आइल के ग्रेडस जानने की क्षमता.	असिस्टेन्ट रिग आपरेटर	तदैव	तदैव
	रिग ड्रायवर	फास्ट रिग पर 20,000 फुट ड्रिलिंग किया हुआ तथा अंग्रेजी भाषा का लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान एवं माइक्रोमीटर का तथा वर्नियर केलिपर पढ़ने की क्षमता हो. एवं आइल के ग्रेडस जानने की क्षमता हो.	तदैव	तदैव	तदैव
	हेल्पर ..	क. आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं चार वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट एयर हेमर ड्रील पर 10,000 फुट ड्रिलिंग किया हो एवं वर्नियर केलिपर माईक्रोमीटर पढ़ने की क्षमता तथा आइल के ग्रेड जानने की क्षमता हो.	तदैव	तदैव	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ख. हायर सेकन्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा 30,000 फुट फास्टर एयर हेमर ड्रिल पर ड्रिलिंग किया हो.	असिस्टेंट रिग आपरेटर	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.) अध्यक्ष. 2. दो सहायक यंत्री (मैके.) सदस्य.	संबंधित मण्डलों के अन्तर्गत पद भरने हेतु इसके अधीनस्थ कार्यपालन यंत्री मैकेनिकल लि. प. स. के अध्यक्ष होंगे.
		ग. इन्डस्ट्रीयल इंस्टीट्यूट से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त एवं दो वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा 20,000 फुट ड्रिलिंग फास्ट रिग पर किया हो.			
		घ. तीन वर्षीय आटोमोबाइल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त एवं 6 माह का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव हो अथवा 5,000 फुट फास्ट एयर हेमर ड्रिलिंग ड्रील से ड्रीलिंग किया हो.			
	हेल्पर ..	क. चौथी कक्षा उत्तीर्ण एवं पांच वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा मड रोटरी परक्यूशन या केलिपर्स ड्रिलिंग मशीन पर / 12,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.	तदैव	तदैव	तदैव
		ख. आठवीं कक्षा पास एवं पांच वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा 10,000 फुट ड्रिलिंग कार्य अनुक्रमांक 'क' में दर्शायी मशीन पर किया गया.			
		ग. हायर सेकन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं 3 वर्षों का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा अनुक्रमांक 'क' में दर्शायी मशीन पर 6,000 फुट ड्रिलिंग किया गया हो.			
		घ. इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इनस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्राप्त एवं दो वर्ष की ड्रिलिंग कार्य का अनुभव अथवा अनुक्रमांक 'क' में दर्शायी मशीन पर 4,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.		तदैव	तदैव.
तृतीय श्रेणी तकनीकी अकार्यपालक.					
	मानचित्रकार ..	कोई न्यूनतम अर्हता नहीं	मुख्य मानचित्रकार (कार्यालय मु. अ. एवं अधीक्षण यंत्री)	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्टस आफिसर, सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सहायक मानचित्रकार	क. 6 साल की सेवा एवं सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा अथवा मा. चित्रकार तीन वर्ष का कोर्स. ख. 8 साल सेवा एवं सिविल इंजीनियरिंग में दो साल का डिप्लोमा अथवा आय. टी. आय. का ट्रेड सर्टिफिकेट.	मानचित्रकार	1. अधीक्षक यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य.	संबंधित मण्डलों के अन्तर्गत पद भरने हेतु इसके अधीक्षण कार्यपालन यंत्री मैकेनिकल नि. प. म. के अध्यक्ष होंगे.
	अनुरेखक	12 वर्ष की सेवा	मानचित्रकार सहायक.	तदैव	तदैव
	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)				
	अधीक्षक (अधीक्षण यंत्री कार्यालय)	कोई न्यूनतम नहीं	अधीक्षक (मु. अ. कार्यालय)	तदैव	तदैव
2	शीघ्र लेखक (अन्य)	कोई न्यूनतम नहीं	शीघ्रलेखक (विभाग प्रमुख के)	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाईन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य.	
3	सहायक (मुख्य-कार्यालय सहायक (अन्य कार्यालय)	कोई न्यूनतम अर्हता नहीं.	अधीक्षक (अधीक्षण यंत्री कार्यालय)	तदैव	तदैव
	लेखापाल	सुपीरियर क्लर्कशिप परीक्षा उत्तीर्ण.	सहायक (कार्यालय मुख्य-अभियन्ता)	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य.	
	आडिटर/उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्य अभि. कार्यालय)	तदैव लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण यदि पदोन्नति के समय लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं हों तो दो वर्ष के भीतर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है.	लेखापाल तदैव	तदैव	तदैव
	निम्न श्रेणी लिपिक (मु.अ.कार्यालय)	तदैव	आडिटर उच्च श्रेणी लिपिक 7 (कार्यालय मुख्य अभियन्ता)	तदैव	तदैव
	प्रथम श्रेणी लिपिक कार्यालय अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री.	सुपीरियर क्लर्कशिप परीक्षा उत्तीर्ण.	सहायक (कार्यालय अधीक्षण यंत्री)	तदैव	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता.	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं 5 वर्ष की सेवा.	निम्न श्रेणी लिपिक (कार्यालय मु. अ.)	1. अधीक्षण यंत्री (डिजाइन) अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना) सदस्य. 3. एकाउन्टस ऑफिसर, सदस्य	पदोन्नति के बाद मध्यप्रदेश बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा.
1	निम्न श्रेणी लिपिक/ बिल क्लर्क (कार्यालय अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री),	कोई न्यूनतम अर्हता नहीं	उच्च श्रेणी लिपिक (कार्यालय अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री).	1. कार्यपालन यंत्री (मण्डल मुख्यालय के) अध्यक्ष. 2. दो सहायक यंत्री (मण्डल मुख्यालय के) सदस्य.	संबंधित मण्डलों के अन्तर्गत पदों के लिये उनके कार्यपालन यंत्री अध्यक्ष रहेंगे.
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री).	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं पांच वर्ष की सेवा.	निम्न श्रेणी लिपिक (कार्यालय अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री).	तदैव	पदोन्नति के बाद एक वर्ष के भीतर बोर्ड द्वारा ली जाने वाली हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा.
3	स्टोर कीपर (नि. श्रे. लिपिक ग्रेड).	कोई न्यूनतम अर्हता नहीं	स्टोर कीपर/एकाउटेन्ट	तदैव	
4	मीटर रीडर	कोई न्यूनतम अर्हता नहीं	मीटर इन्सपेक्टर	तदैव	

टीप.—मुख्य अभियन्ता कार्यालय के सहायक तथा अधीक्षण यंत्री के कार्यालय के सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये सुपीरियर क्लर्कशिप परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही विचार किया जाएगा.

Bhopal, the 21st March 1977.

No 768-5548-XXXV-PHE-I-77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(*i*) These Rules may be called the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service (Conditions of service and Recruitment) Rules, 1976.

(*ii*) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Appointing Authority" in respect of the service means the officer, specified in column (6) of Schedule I;

(*b*) "Committee" means the departmental selection/promotion committee, as referred to in Schedules II and IV;

(*c*) "Chief Engineer", "Superintending Engineer, Executive Engineer" and "Assistant Engineer" mean the officers of the corresponding categories as in Public Health Engineering Department;

(*d*) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(*e*) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(*f*) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(*g*) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(*h*) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" have the same meaning, as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India and are notified as such by Government from time to time;

(157)

(i) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service.

(j) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules, are holding sub-statively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc**—The classification of the Service, the scales of pay attached thereto and the number of posts included in the service and the Appointing Authority therefor shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment**—(1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely :—

(*a*) by direct recruitment by competitive examination;

(*b*) by promotion of substantive/officiating member of the Service as indicated in Schedule IV;

(*c*) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (*b*) or clause (*c*) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage of the number of duty posts as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of prsons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of Chief Engineer the Exigencies of the Service so require, the Chief Engineer may, after obtaining permission of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as the Government may, be order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service**—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of Eligibility of direct Recruits**—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) Age.—

(*a*) He must have attained the age as in column (3) of Schedule III and not attained the age of 28 years, on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(*b*) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes.

(*c*) The upper age limit will also be relaxable in respect of a candidate who is or has been an employee of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below.—

(*i*) A candidate who is a temporary or permanent Government servant should not be more than 38 years of age. The above concession will also be admissible to work-charged staff and contingency paid staff and persons employed in Project Implementation Committee;

(*ii*) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

The following entries shall be substituted, namely :—

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Head Draftsmen (Office of the Chief Eaigneer)	1	..	cent percent	..	1. Superintending Engineer, Chairman. 2. Two Executive Engineers Members.	For the Post of CE Office Superintending Engineer (Design) will be the Chairman of the selection Committee and for the post at Divisional level the Superintending Engineer concerned will be the Chairman.
Head Draftsman (Office of the Superintanding Engineer)	10	..	cent percent	..		
Draftsman	84+3	..	cent percent	..	..	..
Assistant Draftsman	115+5	75%	25%	..	..	..

(2) In Schedule III under the heading, "Class III (Technical Executive)" :—

(a) against the entry "Assistant Draftsman" in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Diploma in Architecture, or Trade Certificate of Draftsman course in Civil or Mechanical Engineering from the Industrial Training Institute of Surveyor Trade Certificate Or Apprentice Certificate (3 years) of Industrial Council of Vocational Training."

(b) against the entry "Tracer" in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"A certificate of Higher Secondary Examination from the Madhya Pradesh Board of Higher Secondary Education or an equivalent certificate from any other recognized Board with Drawing as one of the subjects or a certificate of Higher Secondary Technical Examination of the Madhya Pradesh Board of Technical Education or an equivalent Certificate from any other recognized Board".

(3) In Schedule IV, under the heading—

"Class III Technical (Non-Executive)"—

(a) against the entry "Draftsman" in column (3) the words "No minimum qualification" shall be omitted.

(b) against the entry "Assistant Draftsman" in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"(a) five years service where the candidate possesses the requisite qualification as mentioned in column (5) of the Schedule III against the entry Assistant Draftsman.

(b) ten years "Service in case of others".

(c) against the entry, "Tracer" in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"10 years Service."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

N. B. LOHANI, Se

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित 1984

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 1989

क्र. एफ. 2-35-चौंतीस-1-84.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक में, शीर्षक—तृतीय श्रेणी—अन्य के अधीन क्रमांक-5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक तथा उससे संबंधित-प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5-क	हैंडपम्प मैकेनिक	1644	तदैव	975—25—1000—30—1210—40—1450—50—1650	कार्यपालन यंत्री.

(2) अनुसूची-दो में, शीर्षक "तृतीय श्रेणी-अन्य" के अधीन प्रविष्टि मैकेनिक/सुपरवाइजर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	हैंडपम्प मैकेनिक	1644	100 प्रतिशत	..	..	..	कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल द्वारा

(3) अनुसूची-तीन में, शीर्षक "तृतीय श्रेणी-अन्य" के अधीन प्रविष्टि मैकेनिक/सुपरवाइजर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हैंडपम्प मैकेनिक	18 वर्ष	30 वर्ष	हायर सेकण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड में या मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, आटोमोबाइल मैकेनिक, मशीनिस्ट का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र/प्रधिमान फिटर ट्रेड को दिया जाएगा.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 1989

क्र. एफ. 2-35-चौंतीस-1-84.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-35-चौंतीस-1-84, दिनांक 31 जुलाई 1989 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.